2021/47 न्यायालय [illegible] जिला [illegible]

26/21 कान्ता बनाम पदमचन्द

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	6/7/21	पत्रावली पेश [illegible] कार्य [illegible] की [illegible] क. [illegible] हो। [illegible] 6/8/21	
	6.8.21	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे / अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24.8.21 को पेश हो। [illegible]	
	24/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. P.O. सा. अन्य काम में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली दिनांक 7.12.21 को पेश हो।	
	7/12/21	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रशासित गांवों के लिए अतिरिक्त कैम्प माधोगढ़ में पेश हुई। प्रार्थिया व विपक्ष उपस्थित। मूल वाद में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र वापस वाद विड्रो स्वीकार हो जाने से डिक्री खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र 19 खारिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.3.21 को जारी स्थगन आदेश प्रभावशून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नस्ती से काम हो आज दिनांक 7.12.21 को यह निर्णय प्रशासित गांवों के लिए अतिरिक्त कैम्प माधोगढ़ में मेरे आदेश से सुनाया गया	

[illegible] जिला जयपुर